

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) कोटा जिला बिलासपुर, (छ०ग०)

1360

“प्रस्तुति—पांच”

(देखिए नियम 12)

“कालोनी विकास की अनुमति”

दिनांक — 04.06.2019

रा.प्र.क. १६.../ब—१२१/२०१८—१९

अनुमति क्रमांक०४...../२०१९

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) और उसके अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (कोलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तों) नियम, 1999 के अधीन निम्नलिखित शर्तों के अध्यधिन रहते हुए :—

नाम

— मेसर्स भाटिया इन्फास्ट्रक्चर द्वारा भागीदार श्री दलजीत सिंह भाटिया पिता अमोलक सिंह भाटिया एवं रमेश कुमार डंगवानी पिता वरुमल डंगवानी

निवासी

— सूर्या चेम्बर, तीसरी मंजिल व्यापार विहार रोड बिलासपुर तहसील व जिला बिलासपुर (छ.ग.)

मोहल्ला

— सूर्या चेम्बर, तीसरी मंजिल व्यापार विहार रोड बिलासपुर तहसील व जिला बिलासपुर (छ.ग.)

ग्राम/वार्ड

—

नगर

— बिलासपुर

तहसील

— बिलासपुर

जिला

— बिलासपुर

को ग्राम अमेरी तहसील तखतपुर स्थित भूमि खं० ० 188/१ , 188/२ , 188/५ , 188/१२ , 193 , 204/१ , 204/२ , 204/३ , 205/१ , 205/२ , 205/३ , 206/२ , 214 , 261/२क , 261/३ , 261/५ कुल रकबा 12.09 पर ले—आऊट अनुसार उल्लेखित भू—खण्ड क्रमांक १ , २ , ३ , ४ , ५ , ९ , १० , ११ , १२ , १३ , ३९ , ४५ , १०७ , १०८ , १०९ , १२८ , १२९ , १६५ , १६६ , १८५ , १८६ , १८७ , १८८ , १८९ , १९० , १९१ , १९२ , १९३ , २१६ , २१७ , २१८ , २१९ , २२० , २३७ , २३८ , २३९ कुल 36 भू—खण्ड को ग्राम पंचायत अमेरी में बंधक रखा जा कर तथा ले—आऊट में उल्लेखित ई.डब्लू.एस.हेतु सुरक्षित 15 प्रतिशत भूमि खसरा नम्बर 193 , 188/१ मे से रकबा 78996 वर्गफीट को सुरक्षित रखते हुए कालोनी विकास की अनुमति निम्न शर्तों पर दी जाती है :—

1. नगर भूमि सीमा तथा नियंत्रण अधिनियम 1976 के उपबंधों के अधिन सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र में वर्णित शर्तों का पालन करना होगा ।
2. छ०ग० भू०रा० संहिता 1959 में कथित भू व्यपवर्तन की शर्तों का पालन करना होगा ।
3. छ०ग० नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अधीन प्राप्त विकास अनुज्ञा का पालन करना होगा ।
4. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के भू—खण्डो भवनों का विकास/निर्माण प्रथमतः करना होगा ।
5. सम्पूर्ण स्वीकृत कालोनी का विकास निर्धारित समयावधि में पूर्ण करना होगा ।

6. मानचित्र में दर्शाए गए क्षेत्र के मार्ग का समुचित विकास स्वीकृत अभिन्यास के तारतम्य में ही करना होगा ।
7. कालोनी विकास पूर्ण करने के पश्चात् समस्त जानकारी सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा ।
8. आवेदक निर्धारित मानक अनुसार बाह्य विकास कार्य स्वतः करेगा ।
9. कालोनी में सड़क के दोनों ओर प्रत्येक 25 फीट में फलदार/छांयादार वृक्ष लगाना अनिवार्य होगा । कालोनी विकास में पर्यावरण के साथ छेड-छाड न किया जावे ।
10. कालोनी से निकलने वाले वेस्ट से किसी आम जनता को कोई तकलीफ न हो इसकी आवश्यक व्यवस्था करनी होगी ।
11. शासकीय भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया जावेगा ।
12. भूमि स्वामि को भूमि विकास की अनुमति के पश्चात् ही विक्रय करने का अधिकार होगा । ऊपर लिखे किसी भी शर्तों का उल्लंघन होने पर यह विकास की अनुमति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी ।



 अनुविभागीय अधिकारी (रा०)
 अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
 कौल, जिला-बिलासपुर (छ.गा०)

पृ० क्रमांक १५ वाचक/अ०वि०आ०/२०१९

कोटा दिनांक ०४.०६.२०१९

प्रतिलिपि :-

1. जिला उप पंजीयक बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।
2. तहसीलदार तखतपुर को सूचनार्थ ।
3. उप पंजीयक तखतपुर को सूचनार्थ ।
4. सरपंच ग्राम पंचायत अमेरी/हल्का पटवारी ग्राम अमेरी तहसील तखतपुर जिला बिलासपुर को सूचनार्थ ।
5. आवेदक/ कालोनाईजर मेसर्स भाटिया इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा भागीदार श्री दलजीत सिंह भाटिया पिता अमोलक सिंह भाटिया एवं रमेश कुमार डंगवानी पिता वरुमल डंगवानी निवासी सूर्या चेम्बर, तीसरी मंजिल व्यापार विहार रोड, बिलासपुर तहसील व जिला बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ, एवं पालनार्थ ।


 अनुविभागीय अधिकारी (रा०)
 अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
 कौल, जिला-बिलासपुर (छ.गा०)



Kausar Engineering Services

Partner